By mail

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/22/14988 दिनांकः 18-7-2022

आदेश

राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 12 में नगरपालिका को आरक्षित दर निर्धारण करने एवं किसी भी समय बाजारी परिस्थितियों के मध्यनजर आरक्षित दर को बढाने, घटानें व समान रखने के प्रावधान है। डीएलसी दर इसका आधार नहीं होगा।

गैर योजना क्षेत्र व अन्य क्षेत्र में कुछ नगरपालिकाओं द्वारा आरक्षित दर का निर्धारण किया हुआ है, किन्तु कुछ नगरपालिकाओं द्वारा आरक्षित दर का निर्धारण नहीं किया गया है। आरक्षित दर का निर्धारण नहीं होने से गैर योजना क्षेत्र में भूमि आवंटन, भवन निर्माण स्वीकृति, खांचा भूमि आवंटन, कृषि भूमि के प्रकरणों में समतुल्य राशि लेना, मुख्यमंत्री, जन आवास योजना के अन्तर्गत राशि लेने आदि के प्रकरणों के निस्तारण में आम जन को कठिनाई का सामना करना पडता है।

अतः नगरपालिकाओं को इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र के सभी जोनों/वार्ड/कॉलोनी की आरक्षित दर बाजारी परिस्थितियों के मध्यनजर अतिशीघ्र निर्धारित की जावें। जिस क्षेत्र की आरक्षित दर जब तक निर्धारित नहीं की जाती है, तब तक संबंधित क्षेत्र की आरक्षित दर, डीएलसी दर की आधी दर को मानते हुए कार्यवाही की जावें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/22/14988-15474 दिनांकः 18-7-2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं, समस्त राजस्थान।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी